कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित 239 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 569.55 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मई 2013 तक ₹ 565.72 करोड़ के राजस्व की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 109.30 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैः

अध्याय I: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व

- सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वित्तीय वर्ष 03 में 5.24 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.38 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) वित्तीय वर्ष 03 में 3.25 से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 1.61 हो गया तथा जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 0.16 से बढ़कर 1.09 हो गया।

  (पैराग्राफ 1.6, 1.8 एवं 1.11)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 12 में जारी रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए (1) के अन्तर्गत छूटें ₹ 1,95,590 करोड़ (सामान्य छूटों में ₹ 1,79,453 करोड़, और क्षेत्र आधारित छूटों में ₹ 16,137 करोड़) अर्थात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 135 प्रतिशत थी।

  (पैराग्राफ 1.40)

- 31 मार्च 2012 को विभिन्न प्राधिकारियों के पास ₹ 54,172.65 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले अधिनिर्णय/अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित थे; सेवा कर के संबंध में यह आंकड़ा और भी अधिक ₹ 73,274.74 करोड़ था।

  (पैराग्राफ 1.70 एवं 1.72)

- ₹ 1 करोड़ वार्षिक से अधिक के राजस्व का भुगतान करने वाले और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु देय लगभग 50 प्रतिशत सेवा कर निर्धारितियों की 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं हुई थी।

  (पैराग्राफ 1.87)

- विगत 5 वर्षों के दौरान ₹ 1,429.42 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वाले 634 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) सूचित किए गए थे। सरकार ने ₹ 533.08 करोड़ वाले 502 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 185.09 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ 1.96)

- विगत 5 वर्षों के दौरान कुल ₹ 1,519.42 करोड़ सेवा कर वाले 858 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) सूचित किए गए थे। सरकार ने ₹ 1,208.26 करोड़ वाले 793 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थी और ₹ 353.85 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ 1.97)

अध्याय II: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेने/उपयोग करने, शुल्क/कर के कम भुगतान और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करने संबंधी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में क्रमशः ₹ 61.44 करोड़ और ₹ 478.04 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले मामले देखे।

(पैराग्राफ 2.1 एवं 2.13)

अध्याय III: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने अन्य बातों के साथ-साथ संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों, अप्रभावी काल बुक समीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी देयों की वसूली न करने के मामले पाए। उनमें सम्मिलित शुल्क/कर ₹ 30.07 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.2 और 3.21)